

२१ ४
२५

पत्रायली प्रस्तुत वकील कादी डाटा आप निरंकुत
प्रतिवादीगण की सम्पत्त तालकी रही कायदे उद्देश्य
अतः वाद पत्र CPC के प्रावधानों की पालन
रही गेने पर • CPC के ०११५ के आधार
पर खारिज किया जाता है वाद पत्र प्राकृत
दफ्तर हो व दर्ज नम्बर से कर हो

(अजीत कुमार गोदरा)
उपसचिव अधिकारी
अनुपगढ़

